टं, रा...

...य सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

...ख्या – .... शीर्षक.............................. बनाम..............................

कार्यवाही प्रकरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
जवाब हेतु दि० 25.10.24 को पेश हो	
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राजसमन्द	
वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थिति पीठासीन अधिकारी राज काज भ्रमण/अवकाश पर है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 24.01.25 को पेश हो।	
24-1-25	
वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थिति पीठासीन अधिकारी राज काज भ्रमण/अवकाश पर है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 25-4-25 को पेश हो।	
25.04.25 पत्रा० पेश हुई अधि० प्रार्थी उपस्थित जवाब पेश किया दि० 17.10.24 को प्राप्त होकर स्था० पत्रक पेश बहस सुनी गई। पत्रा० वास्ते आदेश दि० 05.05.25 को पेश हो।	
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राजसमन्द	
05.05.25 पत्रा० वास्ते आदेश पेश हुई अधि० प्रार्थी उपस्थित प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर स्था० आदेश किया। पत्रावली ऑनलाइन अपलोड होकर नम्बर से खारिज हो।	
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राज...	

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी का नाम – बृजेश गुप्ता (R.A.S)
मुकदमा नम्बर – 107/2022
किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र
दायर दिनांक – 22.06.2022
निर्णय दिनांक – 05.05.25

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द सत्यमेव जयते

अनवान

1. सरला पत्नि जम्बुजी चपलोत जाति महाजन निवासी मोही हाल निवासी कांकरोली तह व जिला राजसमन्द।

......................प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कुंवारिया जिला राजसमन्द।

...................विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित
अधिवक्ता प्रार्थीया – श्री मुकेश तलेसरा
विपक्षी – पेरोकार राज

निर्णय

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम फियावडी पटवार हल्का फियावडी तहसील कुंवारिया में आराजी संख्या 1238/159 रकबा 0.2043 हैक्टेयर वं 1266/159 रकबा 0.2833 हैक्टेयर एवं 1265/159 रकबा 0.0324 हैक्टेयर भूमियां स्थित है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थिया की खातेदारी के रूप में राजस्व रेकर्ड में सम्वत् 2072 से 2075 की जमाबंदी में बहैसियत खातेदार दर्ज रही है। उक्त वर्णित भूमि के अतिरिक्त आराजी नम्बर 1241/159 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा अर्थात 0.4128 हेक्टेयर भूमि प्रार्थिया के नाम पर दर्ज रही है जिसमें से प्रार्थिया द्वारा 1/2 हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 19.05.2017 से मंगल कुमार पिता शान्तिलाल जी को विक्रय किया था, जिसका नामान्तरण संख्या 1182 दिनांक 31.07. 2017 को स्वीकृत किया गया था। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित (आराजी संख्या 1238/159 रकबा 0.2043 हैक्टेयर वं 1266/159 रकबा 0.2833 हैक्टेयर एवं 1265/159 रकबा 0. 0324 हैक्टेयर) भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड का डिजिटलाइजेशन किया गया है जिसमें राजस्व जमाबंदी एवं राजस्व नक्शे सीधे ही जरिये कम्प्यूटर ऑनलाईन न केवल देखे जा सकते हैं बल्कि प्राप्त किये जा सकते हैं और उसकी प्रति भी प्राप्त करने की सुविधा प्रदत्त कर रखी है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि का राजस्व रेकर्ड एवं राजस्व नक्शा डिजिटलाइजेशन किया गया है लेकिन राजस्व रेकर्ड में वर्णित पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि राजस्व जमाबंदी में तरमीम गलत हुई है। पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमि जो कि प्रार्थिया की खातेदारी भूमि है उसको जमाबंदी में प्रार्थिया के साथ मंगल कुमार का नाम भी 1/2 हिस्से के रूप में बहैसियत खातेदार त्रुटिपूर्ण दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थिया ने उक्त भूमि अंतरण नहीं की है, न ही अंतरण बाबत कोई दस्तावेज निष्पादित हुआ है, केवल पैरा संख्या 2 में वर्णित भूमि अंतरण की है जिसका नामान्तरण भी पैरा संख्या 2 में वर्णित भूमि में ही स्वीकृत हुआ है। सेटलमेन्ट के दौरान हुई गणितीय त्रुटि को सुधार किया जाना आवश्यक है। राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 20.12.1995 को परिपत्र जारी कर धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत सेटलमेन्ट के दौरान हुई अनियमितता एवं गलतियों को शुद्धि करने हेतु संक्षिप्त विचारण कर निस्तारित करने के निर्देश दिये तथा वर्तमान में भी डिजिटलाइजेशन में हुई त्रुटि को दुरूस्त करने के निर्देश दिये हैं। उक्त मामले में भी राजस्व जमाबंदी में त्रुटि है जिससे प्रार्थिया के पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि राजस्व जमाबंदी अनुसार राजस्व रेकर्ड में 1/2 हिस्सा ही दर्शित है जिसे दुरूस्त किया जाकर राजस्व जमाबंदी में भी उक्त भूमि पूर्ण रूप से प्रार्थिया के नाम पर अंकित किया जाना आवश्यक है। इस त्रुटि को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थनापत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि राजस्व ग्राम फियावड़ी, पटवार हल्का फियावड़ी, तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द में आराजी नम्बर 1238/159 रकबा 0.2043 हेक्टेयर एवं 1266/159 रकबा 0.2833 हेक्टेयर एवं 1265/159 रकबा 0.

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

0324 हेक्टेयर भूमि राजस्व जमाबंदी में प्रार्थिया के नाम पर कुलिया रकबा अंकन किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किये गये। विपक्षी सरकार की और से तहसीलदार राजसमन्द ने प्रार्थना पत्र के क्रम मे जवाब/मौका रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि वक्त लिखाई जमाबन्दी सम्वत् 2077 ऑनलाईन मे खातेदारी के नाम मे त्रुटि होना स्वीकार है। अतः राजस्व रिकॉर्ड मे शुद्धि किया जाना अपेक्षित है। अतः प्रकरण मे राजस्व रिकॉर्ड मे मंगलकुमार का नाम लिपिकीय त्रुटि से दर्ज हो जाने से हटाया जाना अपेक्षित है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीया को सुना जिन्होने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित बिन्दुओ को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम फियावड़ी, पटवार हल्का फियावड़ी, तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द में आराजी नम्बर 1238/159 रकबा 0.2043 हेक्टेयर एवं 1266/159 रकबा 0.2833 हेक्टेयर एवं 1265/159 रकबा 0.0324 हेक्टेयर भूमि राजस्व जमाबंदी में प्रार्थिया के नाम पर कुलिया रकबा अंकन किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीया को सुनकर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत् 2077 अनुसार राजस्व ग्राम फियावड़ी, पटवार हल्का फियावड़ी, तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द में आराजी नम्बर 1238/159 रकबा 0.2043 हेक्टेयर, 1241/159 रकबा 0.4128 हैक्टेयर एवं 1266/159 रकबा 0.2833 हेक्टेयर एवं 1265/159 रकबा 0.0324 हेक्टेयर भूमियां प्रार्थीया सरला पत्नि जम्बु चपलोत एवं मंगलकुमार पुत्र शांतिलाल जैन का नाम 1/2–1/2 हिस्से से दर्ज है। प्रार्थीया द्वारा जरिये विक्रय पत्र आराजी नम्बर 1241/159 रकबा 0.4128 हैक्टेयर भूमि मे से 1/2 हिस्सा मंगल कुमार पिता शान्तिलाल को विक्रय किया, जो नामान्तकरण संख्या 1182 दिनांक 31.07.2017 से साबित होता है। किन्तु सहवन से आराजी संख्या 1238/159 रकबा 0.2043 हेक्टेयर एवं 1266/159 रकबा 0.2833 हेक्टेयर एवं 1265/159 रकबा 0.0324 हेक्टेयर भूमियों मे भी प्रार्थीया के साथ मंगल कुमार पिता शान्तिलाल जैन का नाम 1/2 हिस्से से दर्ज कर दिया गया है, जिसे सुधारा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनिम 1956 स्वीकार किया जाकर 1238/159 रकबा 0.2043 हेक्टेयर एवं 1266/159 रकबा 0.2833 हेक्टेयर एवं 1265/159 रकबा 0.0324 हेक्टेयर भूमियों में मंगल कुमार पिता शान्तिलाल जैन का नाम विलोपित किये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन हेतु तहसीलदार राजसमन्द को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

बृजेश गुप्ता (R.A.S)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमंद

उक्त आदेश आज दिनांक 05.05.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की गोल मोहर से जारी किया गया।